न्यायालय, उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी, लातेहार।

दाखिल खारिज पुनरीक्षण वाद संख्या–140/2023

रामदेव सिंह वगैरह

बनाम्

नरसिंह सिंह वगैरह

–: आदेश :–

प्रस्तुत वाद की प्रक्रिया अपीलार्थी रामदेव सिंह वो बिशुनदेव प्रसाद सिंह वो बसंत कुमार सिंह सभी के पिता–स्व0 अर्जुन सिंह वो रविन्द्र सिंह पे0–स्व0 कृष्णा सिहं वो भीम सिंह व शत्रुधन सिंह दोनों के पिता–स्व0 महादेव सिंह सभी निवासी ग्राम–जबरा, थाना–बालूमाथ, जिला–लातेहार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के दाखिल खारिज अपील वाद संख्या–45/2021 में दिनांक–03.10.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया तथा दोनो पक्षों को स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत किया गया।

नोटिस प्राप्ति के पश्चात् दोनों पक्ष अपने–अपने अधिवक्ता के माध्यम से इस वाद में उपस्थित हुए तथा द्वितीय पक्ष द्वारा अपने दावे के समर्थन में लिखित प्रतिउत्तर दाखिल किया गया।

प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि यह पुनर्विचार याचिका ग्राम–बारियातु, जिला–लातेहार के गत सर्वे खाता संख्या–52 प्लॉट संख्या–317 रकबा–1.04 ए0, प्लॉट संख्या–483 रकबा–0.45 ए0, प्लॉट संख्या–265 रकबा–5.64 एकड़ एवं गत सर्वे खाता संख्या–85 प्लॉट

संख्या-349 रकबा-0.71 ए0, प्लॉट संख्या-371 रकबा-0.16$\frac{1}{2}$ ए0 हाल सर्वे खाता संख्या-52 प्लॉट संख्या-446 रकबा-1.04 ए0, प्लॉट संख्या-1614 रकबा-0.45 ए0 एवं प्लॉट संख्या-315, रकबा-5.64 ए0, प्लॉट संख्या- 468 रकबा-0.71 ए0, पलॉट संख्या-575, रकबा-0.16$\frac{1}{2}$ ए0 भूमि से संबंधित है। ग्राम-जबरा में कई जमीन्दार थे तथा वर्ष 1927 में जमींदारो के द्वारा व्यवहार न्यायालय, डालटनगंज, पलामू में बटवारा वाद संख्या-27/1927 दायर किया गया था, जिसका निष्पादन वर्ष 1932 में किया गया है। सभी जमींदारों को अलग-अलग तख्ताबंदी हुआ। उस तख्ता बटवारा में जमीन्दार काशी सिंह एवं महादेव सिंह को भी हिस्से में भूमि प्राप्त हुआ, जिसमें इस वाद में प्रश्नागत भूमि भी शामिल है। भूमि का न्यायालय के द्वारा नक्शा भी बनाया गया, जिसे पीला रंग से दर्शाया गया है। बटवारा के पश्चात् सभी जमींदार अपने-अपने हिस्से में प्राप्त जमीन पर अलग-अलग दखल-कब्जा में आ गये। काशी सिंह की नावल्द मृत्यु हो गयी। उनके मरनोपरान्त उनके सगे भाई महादेव सिंह उनके हिस्से की जमीन का मालिक हो गये तथा दखल-कब्जा में भी आ गये। बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 के अन्तर्गत जमींदारी उन्मूलन हो गया तथा सभी जमींदारों को अपने खास कब्जा वाली जमीन को धारा-5,6,7 के अन्तर्गत लगान निर्धारण कराने का प्रावधान हुआ। उस प्रावधान के अन्तर्गत विपक्षी के सदस्यों द्वारा जालसाजी पूर्वक विवादित भूमि का लगान निर्धारण करवा लिया गया। राज्य सरकार के द्वारा GSR119, दिनांक-15.11.1972 को प्रावधान किया गया कि यदि भूलवश किसी व्यक्ति के द्वारा लगान निर्धारण के लिये फॉर्म K नहीं भरा गया है, तो राजस्व पदाधिकारी को जांच-पड़ताल कर जमीन का लगान निर्धारण करने का निर्देश दिया गया था। उसी प्रावधान के

अन्तर्गत महादेव सिंह के पुत्र अर्जुन सिंह, भीम सिंह, शत्रुधन सिंह द्वारा भूमि सुधार-उप-समाहर्त्ता, लातेहार के यहां आवेदन पत्र दाखिल किया गया, जिसके तहत् जॉचोपरान्त जमीन का लगान निर्धारण अर्जुन सिंह वगैरह के नाम पर किया गया तथा भूमि सुधार उप समाहर्ता, लातेहार द्वारा पत्रांक-1025 दिनांक-12.10.1996 से अंचल अधिकारी, बालूमाथ को भेजा गया। उक्त अवधि से जमीन का मालगुजारी सरकार को देने लगे, जिसका समर्थन विपक्षीगण के सदस्यों द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में आवेदकगण के पक्ष में किया गया था।

हाल सर्वे खतियान लागू होने के बाद आवेदकगण ने पुनः हाल सर्वे खाता संख्या, प्लॉट संख्या के आधार पर दाखिल-खारिज करने हेतु अंचल अधिकारी, बारियातु के पास आवेदन पत्र दाखिल किये। इसके बाद कार्यवाही शुरू हुई तथा विपक्षी के सदस्यों ने भी दाखिल-खारिज का समर्थन किये। उन्होने उक्त वाद में निर्गत नोटिस पर अपना हस्ताक्षर बनाये, जिसका वाद संख्या-01/2021-22 हैं। विपक्षी के द्वारा दाखिल-खारिज वाद के विरुद्ध कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराया गया। इस प्रकार द्वितीय पक्ष की सहमति से हाल सर्वे के आधार पर प्रथम पक्ष के पक्ष में मालगुजारी रसीद निर्गत होने लगा। विपक्षीगण द्वारा काशी सिंह एवं महादेव सिंह, पिता-रामधन सिंह को दिनांक-26.04.1928 के अपनी जमीन्दारी में से 2 आना हिस्सा भागवत सिंह एवं लक्ष्मी सिंह पे0-बाली सिंह को बेच दिये जाने की बात कही गयी है, जो बिल्कूल गलत है। **Transfer Of Property Act** की धारा 52 में सूट के दौरान भूमि बिक्री करने पर प्रतिबंध है। यदि केवाला सही था तो विपक्षीगण के पूर्वजों को बंटवारा वाद संख्या-27/1927 में आपत्ति दर्ज करना चाहिये था तथा उक्त केवाला को न्यायालय में दाखिल करना चाहिये

था, किन्तु उन्होने कभी भी उक्त केवाला के आधार पर दावा नही किया गया। इस प्रकार यह केवाला निराधार एवं जाली है तथा उसी से जुड़ा वर्ष 1943 का केवाला भी जाली है। कैलाश देवी के नाम पर सादा हुकुमनामा द्वारा जमीन बन्दोबस्ती किये जाने का विपक्षीगण का दावा निराधार है, क्योंकि जमीन के मालिक काशी सिंह एवं महादेव सिंह ने कोई बन्दोबस्ती नहीं किये है तथा सादा हुकुमनामा का भी कानून में कोई मान्यता नहीं है। उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिये गये फैसला में हुकुमनामा निबंधित होना चाहिये। लम्बे समय से चल रहे मांग को रद्द करने का अधिकार भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार को नही है क्योकि भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के ही आदेश से मांग कायम किया गया था तो उसी न्यायालय द्वारा मांग को रद्द किया जाना न्यायसंगत नही है। विपक्षीगण द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के न्यायालय में मात्र 1.52 एकड़ भूमि पर वाद दाखिल किया गया था, किन्तु भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के द्वारा रकबा-6.52 एकड़ भूमि के विरूद्ध आदेश पारित किया गया है, जो सरासर नाजायज है। उक्त आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार के द्वारा दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या-45/2020-21 में दिनांक-03.10.2023 को पारित आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता का कथन है कि निम्न न्यायालय द्वारा अभिलेख में उपलब्ध सभी दस्तावेजों एवं तथ्यों को अवलोकन करने के पश्चात् दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या-45/2021-22 में दिनांक-03.10.2023 को नियमसंगत तरीके से आदेश पारित किया गया है। ग्राम-जबरा के खेवट नं0-3/9, 4 एवं 5/3 चौधरी अमरजीत सिंह, पे0-चौधरी अचमभित सिंह के पूर्वज की सम्पत्ति थी, जिसपर अमरजीत सिंह

का शांतिपूर्ण दखल कब्जा चला आ रहा था। चौधरी अमरजीत सिंह अपने आवश्यकतावश दो निबंधित बिक्री केवाला से दिनांक-08.04.1926 को चार अन्ना हिस्सा चौधरी हरि प्रसाद सिंह व चौधरी आदित प्रसाद सिंह व चौधरी सुखदेव सिंह पे0-भागवत सिंह एवं चार अन्ना हिस्सा चौधरी काशी सिंह एवं महादेव सिंह पे0-रामधन सिंह को बिक्री कर दखल कब्जा दे दिए। क्रेतागण हरी सिंह वगैरह एवं काशी सिंह वगैरह द्वारा अवर न्यायाधीश डालटनगंज, पलामू के न्यायालय में बटवारा वाद संख्या-27/1927 चौधरी अमरजीत सिंह के विरुद्ध दायर किया गया। अवर न्यायाधीश डालटनगंज पलामू के द्वारा दिनांक 29.09.1928 एवं डिक्री दिनांक 06.10.1928 को बटवारा वाद स्वीकृत किया गया। बंटवारा स्वीकृति के पश्चात् तख्ता संख्या-1 अमरजीत सिंह तख्ता संख्या-2 हरि सिंह, आदित सिंह एवं सुखदेव सिंह पे0- भागवत सिंह तथा तख्ता संख्या-3 काशी सिंह एवं महादेव सिंह पे0-रामधन सिंह के नाम से बना। तख्ता बंटवारा के अनुसार तीनों पक्ष अलग-अलग भूमि के दखल कब्जा में चले आये। तख्ता संख्या-03, जो काशी सिंह एवं महादेव सिंह के हिस्से में मिला। उक्त भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :-

ग्राम-जबरा, थाना-बालूमाथ, जिला-लातेहार

पुराना खाता संख्या	पुराना प्लॉट संख्या	रकबा(एकड़ में)
52	332	0.74
85	349	0.71
52	325 बी	2.21
52	317 बी	1.89
59	319	0.33
59	320	0.02
85	371 बी	$016\frac{1}{2}$
52	716	0.31
52	715	0.36

59	719 बी	0.59
89	528 बी	0.22
52	631 बी	11.17
52	483	0.75
86	198	0.57
52	711 ए	0.20
52	711 बी	0.06
60	54	0.71
52	265	5.64
90	192	....
52	758	0.32
62	61	1.63
52	143	0.87
52	847 बी	0.73
52	853 बी	1.34
52	787	0.33
52	191 बी	0.64
52	804	1.57
65	673	0.86
65	660 ए	1.82
60	44	1.34
60	42 बी	0.04
52	633/867	1.06

चौधरी काशी सिंह एवं चौधरी महादेव सिंह वजरिये हुकुमनामा दिनांक-चैत वदी सात रोज संवत-2002 साल, 1945 में खाता संख्या-52 एवं 85 का कुल रकबा-9.21 $\frac{1}{2}$ ए0 चौधरी देवनारायण सिंह एवं चौधरी अम्बिका सिंह पे0-चौधरी अमरजीत सिंह को बंदोबस्त कर कब्जा दखल दे दिये जिसका विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-जबरा, थाना-बालूमाथ, जिला-लातेहार

पुराना खाता संख्या	पुराना प्लॉट संख्या	रकबा(एकड़ में)
52	483	0.45
	265	5.64

85	317	1.89
	715	0.36
	317	$0.16\frac{1}{2}$
	349	0.71
	कुल :–	$9.21\frac{1}{2}$

बंदोबस्ती की तिथि से बंदोबस्तधारी चौधरी देवनारायण सिंह एवं चौधरी अम्बिका सिंह शांतिपूर्ण दखल कब्जा एवं जमीन्दार से मालगुजारी रसीद प्राप्त करते आ रहे थे। जमीन्दारी उन्मूलन के पश्चात् बिहार भूमि सुधार अधिनियम की धारा–5, 6, 7 के तहत् फार्म M बन्दोबस्तधारी अम्बिका सिंह एवं नरसिंह सिंह पिता–देवनारायण सिंह के नाम से बना, जिसका दाखिल खारिज स्वीकृत होकर वर्ष 2016 तक लगान रसीद निर्गत होते आया। हाल सर्वे में विपक्षीगण के बंदोबस्ती भूमि का खाता संख्या–52 नरसिंह प्रसाद सिंह वगैरह के नाम से प्रकाशित हुआ, जिसका ऑनलाईन मालगुजारी रसीद निर्गत हो रहा है। अर्जुन सिंह, भीम सिंह एवं शत्रुधन सिंह पे0–स्व0 महादेव सिंह के द्वारा अंचल अधिकारी, बारियातु के पास अपने नाम से दाखिल खारिज के लिए दाखिल किया गया। उक्त आवेदन के आलोक में दाखिल–खारिज वाद संख्या–01/2021–22 प्रारम्भ किया गया, जबकि आवेदक अर्जुन सिंह की मृत्यु आवेदन दाखिल करने की तिथि से 5 वर्ष पहले हो गया है। अंचल अधिकारी द्वारा इस तथ्य को अनदेखा करते हुए विपक्षीगण को बिना नोटिस निर्गत किये मृत व्यक्ति के नाम पर भूमि का दाखिल–खारिज कर दिया गया, जिसका विवरण इस प्रकार है :–

नया खाता/ पुराना खाता संख्या	नया प्लॉट/ पुराना प्लॉट संख्या	रकबा(एकड़ में)
52 / 52	446 / 317	1.04
	1614 / 483	0.45
	315 / 265	5.64
52 / 85	468 / 349	0.71

	575 / 371	$0.16\frac{1}{2}$
	कुल :–	**$8.00\frac{1}{2}$**

आवेदकगण का उपरोक्त वर्णित भूमि पर कोई हक हकियत या दखल कब्जा कभी नहीं था और न है। फिर भी विपक्षीगण के उपरोक्त बंदोबस्ती के जमीन को दाखिल–खारिज करा लिए, जो नियमसंगत नहीं है। उक्त आलोक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा पारित आदेश को यथावत बहाल रखते हुए आपीलार्थीगण के अपील आवेदन को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं स्मरण में रखा। अभिलेख में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। न्यायालय Additional Sub Judge Palamau के suit N0. 27/1927 से जमींदारों के बीच भूमि का बटवारा किया गया है।

(1) न्यायालय Additional Sub Judge Palamau के suit N0. 27/1927 से जमींदारों के बीच भूमि का तख्ता बटवारा चौधरी अमरजीत सिंह वगै0, चौधरी हरि प्रसाद सिंह वगै0 एवं चौधरी काशी नाथ सिंह के बीच किया गया है।

(2) चौधरी काशी प्रसाद सिंह वगैरह को खाता 52 प्लॉट सं0–317B रकबा–1.89 ए0, प्लॉट सं0–483 रकबा–0.75 ए0, प्लॉट सं0–265 रकबा–5.64 ए0, खाता सं0–85 प्लॉट सं0–349 रकबा–0.71 ए0, प्लॉट सं0–371B रकबा–$0.16\frac{1}{2}$ ए0. एवं अन्य खाता प्लॉट की भूमि प्राप्त है।

(3) फार्म M के अनुसार चौधरी अम्बिका सिंह पिता अमरजीत सिंह एवं

चौधरी नरसिंह सिंह पिता चौधरी देवनारायण सिंह को खाता सं0-52 प्लॉट सं0-317 रकबा-3.04 ए0, प्लॉट सं0-483 रकबा-0.33 ए0, प्लॉट सं0-265 रकबा-0.5.64 ए0, खाता 85 प्लॉट सं0 349 रकबा-0.71 ए0, प्लॉट सं0-371 रकबा-0.33 ए0 अंकित है।

(4) विपक्षीगण द्वारा निम्न न्यायालय में चौधरी काशी सिंह एवं चौधरी महादेव सिंह द्वारा चौधरी देवनारायण सिंह एवं चौधरी अम्बिका सिंह पे0- चौधरी अमरजीत सिंह के पक्ष में निष्पादित हुकुमनामा एवं जमींदारी लगान रसीद की प्रति प्रस्तुत किया गया है।

(5) अंचल अधिकारी, बारियातु के पत्रांक 149 दिनांक 01.04.2024 से जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है, जो इस प्रकार है :-

(i) मौजा-जबरा के गत सर्वे खाता नं0-52, प्लॉट संख्या-317 रकबा-1.04 एकड़, प्लॉट नं0-483 रकबा-0.45 एकड़ एवं प्लॉट नं0-265 रकबा-5.64 एकड़ एवं खाता संख्या-85, प्लॉट संख्या-349, रकबा-0.71 एकड़ एवं प्लॉट संख्या-371 रकबा-0. 16$^1/_2$ एकड़ भूमि बकास्त खाते की भूमि है।

(ii) गत सर्वे मांग पंजी-II के जमाबंदी संख्या-144 पर खाता नं0-52, प्लॉट संख्या-317 रकबा-1.04 एकड़, प्लॉट नं0-483 रकबा-0. 45 एकड़ एवं प्लॉट नं0-265 रकबा-5.64 एकड़ एवं खाता संख्या-85, प्लॉट संख्या-349, रकबा-0.71 एकड़ एवं प्लॉट संख्या-371 रकबा-0.16 $^1/_2$ एकड़ का दाखिल खारिज बाद

संख्या-173/1996-97 से अर्जुन सिंह, भीम सिंह, शत्रुधन सिंह पिता-महादेव सिंह के नाम पर जमाबंदी कायम किया गया है। वर्ष 2013-14 तक लगान रसीद निर्गत है।

(iii) निबंधित केवाला संख्या-93 वर्ष 1927 से खाता नं0-52, प्लॉट संख्या-317 रकबा-1.04 एकड़, प्लॉट नं0-483 रकबा-0.45 एकड़ एवं प्लॉट नं0-265 रकबा-5.64 एकड़ एवं खाता संख्या-85, प्लॉट संख्या-349, रकबा-0.71 एकड़ एवं प्लॉट संख्या-371 रकबा-0.16 $^1/_2$ एकड़ भूमि विक्रेता अमरजीत सिंह पिता-अचम्भीत सिंह से क्रेता काशीनाथ सिंह एवं महादेव सिंह पिता-चौधरी रामधन सिंह के द्वारा क्रय किया गया है।

(iv) स्थलीय जांच के क्रम में ग्रामीणों से पुछ-ताछ में बताया गया कि प्लॉट 315 पर विशुनदेव सिंह पिता-स्व0 अर्जून सिंह के द्वारा घर का निर्माण किया जा रहा है एवं प्लॉट संख्या-468 में पूर्व से कच्चा मकान बना हुआ है, जिसमें जमाबंदी रैयत के वंशज सपरिवार निवास करते है।

(v) गत सर्वे खतियान के अनुसार प्लॉट संख्या-317, 483, 265, 349 एवं 371 का हाल सर्वे प्लॉट संख्या-446, 1614, 315, 468 एवं 575 बना है, जिसका हाल सर्वे खतियान चौधरी अम्बिका सिंह, पिता-अमरजीत सिंह व नरसिंह प्रसाद सिंह, पिता-चौधरी देवनारायण सिंह के नाम से प्रकाशित है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि हाल सर्वे खतियान विपक्षीगण के

सदस्यों के नाम पर प्रकाशित है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार द्वारा दाखिल खारिज अपील वाद संख्या-45/2021 में दिनांक-03.10.2023 को पारित आदेश को यथावत रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश की प्रति उभय पक्ष, अंचल अधिकारी, बारियातु एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, लातेहार को भेजे।

अभिलेख को अभिलेखागार में जमा करें।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

उपायुक्त, लातेहार।

उपायुक्त, लातेहार।

Digitally signed by Garima Singh
Date: 2024.06.18 17:30:25 +05:30
Location: 192.168.73.92